रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112026-277975
CG-DL-E-17112026-277975

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2026/कार्तिक 19, 1948
No. 339] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2026/KARTIKA 19, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2026

भारत सरकार द्वारा निजी संयुक्त उद्यमों को छोटे, मध्यम आकार के और खोजे गए क्षेत्रों को आवंटित करने वाले उत्पादन भागीदारी संविदाओं (पीएससी) के विस्तार के लिए नीति।

फा. सं. अन्वे-11019 (18)/33/2026-ओएनजी-IV.— भारत सरकार (जिसे इसके बाद सरकार के रूप में संदर्भित किया गया है) ने पहले विस्तार देने के लिए एक पारदर्शी और परिभाषित ढांचा रखने के लिए छोटे और मध्यम आकार के खोजे गए क्षेत्रों को विस्तार देने के लिए 28.03.2016 की तारीख की नीति को मंजूरी दी थी। तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2025 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, नीति को अब संशोधित किया गया है। यह संशोधित नीति हाइड्रोकार्बन के इष्टतम दोहन के लिए इन क्षेत्रों में अपने निवेश की योजना बनाने में संविदाकारों (प्रचालकों/पीआई धारकों) की मदद करेगी। नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. प्रस्तुतीकरण, संविदा विस्तार के लिए अनुरोध पर विचार और अनुमोदन

1.1 संविदाकार को संविदा की अवधि के आधे समय (या संविदा की विस्तारित अवधि) की समाप्ति के बाद किसी भी समय, लेकिन संविदा की समाप्ति तिथि से कम से कम 2 वर्ष पहले, एमओपीएनजी को संविदा के विस्तार के लिए

प्रचालन समिति(ओसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित आवेदन जमा करना चाहिए, जिसकी एक प्रति डीजीएच को दी जानी चाहिए।

1.2 डीजीएच संविदाकार द्वारा आवेदन जमा करने के 6 महीने के भीतर पीएमओपीएनजी को सिफारिश करेगा।

1.3 डीजीएच से प्रस्ताव प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर सरकार विस्तार के अनुरोध पर निर्णय लेगी।

2. विस्तार के लिए वित्तीय मानदंड

2.1 सरकारी हिस्सा: मूल पीएससी अवधि के बाद संविदा की विस्तारित अवधि के दौरान लाभ पेट्रोलियम (पीपी) का सरकारी हिस्सा निम्नानुसार होगा:

पीएसी का विस्तारित समय (पीएससी की मूल अवधि के बाद)	**जीओआई पीपी की दर**
विस्तार के वर्ष 1 से वर्ष 10 तक	सामान्य पीएससी प्रावधानों का उपयोग करके गणना किए गए हिस्से से 10% अधिक
विस्तार के वर्ष 11 से वर्ष 20 तक	सामान्य पीएससी प्रावधानों का उपयोग करके गणना किए गए हिस्से से 5% अधिक
विस्तार के वर्ष 21 से वर्ष 30 तक	सामान्य पीएससी प्रावधानों का उपयोग करके गणना किए गए हिस्से से 2.50% अधिक
वर्ष 30 के बाद	सामान्य पीएससी प्रावधानों का उपयोग करके गणना किए गए हिस्से के अनुसार

2.2 संविदा की विस्तारित अवधि के दौरान, प्रोफिट पेट्रोलियम की सरकारी हिस्सेदारी, निवेश गुणक (आईएम)/कर पश्चात रिटर्न की दर (पीटीआरआर) के आधार पर, वर्ष-दर-वर्ष भिन्न हो सकती है।

(स्पष्टता के लिए, यदि संविदा की विस्तारित अवधि के वर्ष 1 से वर्ष 10 के दौरान किसी भी वर्ष में सामान्य पीएससी प्रावधानों का उपयोग करके गणना की गई लाभ पेट्रोलियम की सरकारी हिस्सेदारी 20% है, तो उस अवधि के दौरान लाभ पेट्रोलियम की देय सरकारी हिस्सेदारी 30% (20% + 10%) होगी)।

2.3 रॉयल्टी और उपकर: संविदा की विस्तारित अवधि के दौरान, रॉयल्टी और उपकर नामांकन व्यवस्था की प्रचलित दरों पर देय होंगे और छोटे और मध्यम आकार के क्षेत्रों दोनों के लिए पीएससी में निर्धारित रियायती दरों पर नहीं। सभी संविदाकारों द्वारा उनके भाग लेने वाले ब्याज के अनुपात में रॉयल्टी और उपकर देय होगा।

3. मूल्यांकन के लिए पूर्वापेक्षाएं

3.1 आवेदन की तारीख को वैध खनन पट्टा/पेट्रोलियम पट्टा वाले निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए विस्तार के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा:

(क) जिन क्षेत्रों में परीक्षण/वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है।

(ख) विकास योजना द्वारा कवर किए गए क्षेत्र, पट्टे क्षेत्र में किसी भी खोज के लिए, जिसे एमसी द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है, एमसी द्वारा ऐसे एफडीपी के अनुमोदन के अधीन हो।

(ग) वे क्षेत्र जहां संविदाकार द्वारा डीजीएच को फर्म अन्वेषण कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, बैंक गारंटी द्वारा समर्थित है और आवेदन की तारीख को मौजूदा विकास क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है।

3.2 संविदा विस्तार के लिए आवेदन निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:

क) संविदाकार को तीसरे पक्ष के रिजर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से शेष वसूली योग्य आरक्षित की उपलब्धता प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए, जिसे विस्तार के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना है। इस उद्देश्य के लिए 'रिजर्व' की परिभाषा पेट्रोलियम संसाधन प्रबंधन प्रणाली (पीआरएमएस) दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

ख) यदि विस्तार के लिए अनुरोध किए गए किसी विकास क्षेत्र के शेष 2पी/पी50 (2पी/50 रिजर्व का अर्थ है सिद्ध और संभावित भंडार, जिनके उत्पादन की 50% संभावना है) वसूली योग्य भंडार [तेल + गैस के तेल-समकक्ष (ओ+ओईजी)] 5 एमएमबीबीएल से अधिक हैं, तो जीजीएच द्वारा अनुरक्षित और समय-समय पर संशोधित सूची में शामिल किसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सलाहकार से 'तीसरे पक्ष द्वारा रिजर्व लेखापरीक्षा कराना चाहिए।

ग) संविदाकार शेष भंडार के दोहन के लिए आवेदन जमा करते समय प्रस्तावित विस्तार अवधि के लिए संशोधित क्षेत्र विकास योजना (आरएफडीपी) प्रस्तुत करेगा। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

(i) ऑयल इनिशियली इन प्लेस (ओआईआईपी) और गैस इनिशियली इन प्लेस (जीआईआईपी)

(ii) शेष 2पी/पी50 निकासीयोग्य रिजर्व

(iii) रिज़र्वोयर सिमुलेशन अध्ययनों पर आधारित भविष्य का उत्पादन प्रोफ़ाइल

(iv) प्रस्तावित कार्य कार्यक्रम और प्रस्तावित विस्तार अवधि के लिए अनुमानित व्यय

घ) संशोधित एफडीपी में एक 'आधार उत्पादन प्रोफाइल' (अर्थात 'कुछ न करने' की स्थिति, जिसमें पहले से स्वीकृत इनपुट में कोई बदलाव नहीं किया जाता) और बेस केस के आधार पर एक 'अनुशंसित उत्पादन प्रोफाइल' शामिल होगा। इसमें संबंधित कार्य कार्यक्रम और कार्यक्रम की मात्रा भी शामिल होगी, जिसमें जहाँ भी लागू हो, आईओआर/ईओआर घटक भी शामिल किए जाने चाहिए।

ङ) इस तरह के आरएफडीपी पर प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा विचार किया जाएगा और जहां उचित समझा जाएगा, एमसी इस नीति के तहत सरकार द्वारा दिए जा रहे पीएससी के विस्तार की शर्त के अधीन, ऐसी विकास योजना (वर्तमान पीएससी से परे की अवधि सहित) के लिए सशर्त अनुमोदन प्रदान करेगी। एमसी द्वारा इस तरह की सशर्त मंजूरी से संविदाकार को पीएससी अवधि में विस्तार का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

च) आवेदन जमा करते समय प्रचालक को तकनीकी विशेषज्ञता का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।

छ) आवेदन जमा करते समय, संविदाकार को शुरुआत से लेकर अब तक खोदे गए कूपों और उत्पादन (योजनाबद्ध बनाम वास्तविक) की कुल उपलब्धियों का विवरण देना चाहिए।

ज) सरकार के सभी वैधानिक देय राशि और भुगतान का भुगतान किया जाना चाहिए और संविदाकार किसी भी कारण से सरकार का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। विस्तार अनुरोधों पर विचार करते समय सरकार लंबित मध्यस्थता को भी ध्यान में रखेगी।

4. अनुरोध के मूल्यांकन के लिए मानदंड

4.1 संविदाकार के पिछले प्रदर्शन को विस्तार के अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार करने के लिए संतोषजनक होना चाहिए।

4.2 पिछला प्रदर्शन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर आंका जाएगा:

(क) संविदाकार ने पिछले 10 वर्षों में आवेदन की तारीख तक एमसी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र विकास योजना के कम से कम 70% विकास कूपों ड्रिल किया होना चाहिए

<u>या</u>

संविदाकार को आवेदन की तारीख तक, पिछले 10 वर्षों के लिए पहले से स्वीकृत एफडीपी या अनुमोदित कार्य कार्यक्रम के संदर्भ में, प्रतिबद्ध उत्पादन का 70% हासिल करना होगा।

(ख) संविदाकार को पीएससी के अनुसार साइट रीस्टोरेशन फंड (एसआरएफ) और साइट रीस्टोरेशन प्लान (एसआरपी) के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए। जहां भी पीएससी एसआरएफ और एसआरपी के लिए प्रावधान नहीं करता है, संविदाकार को विस्तारित संविदा के एक भाग के रूप में एसआरएफ और एसआरपी का प्रस्ताव करना चाहिए।

5. सरकार को नए बोलियों को आमंत्रित करने का विकल्प: उपर्युक्त खंड 3 और 4 में उल्लिखित उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी अनुपालन करने में विफलता की स्थिति में, सरकार के पास क्षेत्र के और विकास के लिए सबसे प्रतिस्पर्धी बोली के लिए नए बोलियों को आमंत्रित करने और उसे प्रदान करने का विकल्प होगा।

6. मध्यस्थता का स्थान: संविदाकार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 के नियम 51 के अनुसार मध्यस्थता का स्थान चुनने की अनुमति दी जाएगी।

7. विस्तार की अवधि:

7.1 इन पीएससी के लिए विस्तार, तेल और गैस क्षेत्रों दोनों के लिए, क्षेत्र के आर्थिक जीवन के अंत तक, तीस वर्षों से अधिक नहीं की एक या अधिक किस्तों में माना जाएगा।

7.2 "क्षेत्र के आर्थिक जीवन का अंत" अभिव्यक्ति का अर्थ समय का वह बिंदु होगा जिसके बाद निरंतर उत्पादन को वस्तुनिष्ठ रूप से व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य प्रदर्शित किया जाता है।

8. बैंक गारंटी की प्रस्तुति:

8.1 संविदाकार, संविदाकार द्वारा संविदा क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य कार्यक्रम के संबंध में, एमसी द्वारा अनुमोदित कुल अनुमानित वार्षिक व्यय के 10% के बराबर बैंक गारंटी (बीजी) प्रदान करेगा।

8.2 यदि संविदाकार अनुमोदित कार्य कार्यक्रम को पूरा करने में विफल रहता है, तो एमसी द्वारा गतिविधि को पूरा करने के लिए एक वर्ष तक की अनुग्रह अवधि दी जा सकती है, जो अनुग्रह अवधि की अवधि के लिए बैंक गारंटी की वैधता का विस्तार करने और अगले वर्ष के कार्य कार्यक्रम को बाधित नहीं करने के लिए संविदाकार के अधीन है।

8.3 इसके अलावा, संविदाकार को आगामी वर्ष के वार्षिक कार्य कार्यक्रम और उस वर्ष के बजट के विरुद्ध एक और नई बैंक गारंटी जमा करनी होगी।

9. अन्य शर्तें

9.1 पूर्ववर्ती नीति दिनांक 28.03.2016 के तहत दिए गए पीएससी विस्तार उनकी निर्धारित समाप्ति तिथि तक वैध रहेंगे।

9.2 मूल पीएससी अवधि के बाद पहली बार विस्तार के लिए या वर्तमान में अनुमोदित विस्तार अवधि से आगे के विस्तार के लिए कोई भी आवेदन, विशेष रूप से, इस नीति दस्तावेज के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

9.3 विस्तार प्रदान करते समय, सरकार को किसी विशेष पीएससी के लिए विशिष्ट, कोई भी अतिरिक्त शर्तें निर्धारित करने का अधिकार होगा।

9.4 सरकार बिना कोई कारण बताए पीएससी को आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखेगी।

9.5 इस नीति में निर्धारित शर्त पीएससी के मौजूदा प्रावधानों को रद्द कर देगी।

9.6 यदि कोई संविदाकार इस नीति से सहमत नहीं है, तो क्षेत्र को यथास्थिति के आधार पर पुन: बोली लगाने के लिए विचार किया जाएगा।

9.7 सरकार को राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) यानी ओएनजीसी या ओआईएल को क्षेत्र सौंपने का अधिकार भी होगा।

10 क्षेत्रों की सूचीः 22 क्षेत्रों की सूची अनुलग्नक-क में दी गई है।

विनोद शेषन, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-क

(22 छोटे और मध्यम आकार के क्षेत्र)

क्रमांक	**मध्यम आकार के क्षेत्र के रूप में प्रदान किए गए**
1	खारसांग
2	रव्वा
एसएल	**छोटे आकार के फ़ील्ड के रूप में में प्रदान किए गए**
1	ढोलका
2	वेवल
3	अजोल
4	कैम्बे
5	भंडूत
6	हजीरा
7	पीवाई-1
8	बाओला
9	मोढेरा
10	बकरोल
11	लोहार
12	कर्जिसन

13	अल्लोरा
14	अमगुरी
15	ढोलासन
16	कँवारा
17	उत्तर बालोल
18	उत्तर कठना
19	उनावा
20	पीवाई-3

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2026

Policy for the Grant of Extension to Production Sharing Contracts (PSC) signed by the Government of India awarding small, medium sized and discovered fields to private Joint Ventures.

F. No. Expl-11019(18)/33/2026-ONG-IV.— The Government of India *(hereinafter referred as Government)* had earlier approved a policy dated 28.03.2016 for granting extension to small and medium size discovered fields in order to have a transparent and defined framework for granting extensions. Consequent upon the Notification of Oilfields (Regulation and Development) Amendment Act, 2025 and Petroleum and Natural Gas Rules, 2025, the Policy is now revised. This revised Policy will help Contractors (operators / PI holders) in planning their investments in these fields for optimal exploitation of hydrocarbons. The salient features of the policy are as follows:-

1. SUBMISSION, CONSIDERATION AND APPROVAL OF REQUEST FOR CONTRACT EXTENSION

1.1 The Contractor should submit the application duly approved by the Operating Committee (OC) for extension of Contract to MoPNG at any time after the expiry of half of the term *(or the extended term of the Contract)*, but at least 2 years prior to the expiry date of Contract, with a copy to DGH.

1.2 DGH will make a recommendation to MoPNG within 6 months of submission of application by the Contractor.

1.3 The Government will take a decision on the request for extension within 3 months of receipt of the proposal from DGH.

2. FISCAL PARAMETERS FOR EXTENSION

2.1 **Government Share:** The Government share of Profit Petroleum (PP) during the extended period of contract, beyond the original PSC period shall be as under:

Extended period of PSC (beyond original term of PSC)	**Rate of GoI PP**
Year 1 to year 10 of extension	**10% higher than** the share as calculated using the normal PSC provisions
Year 11 to year 20 of extension	**5% higher than** the share as calculated using the normal PSC provisions

Year 21 to year 30 of extension	**2.50% higher than** the share as calculated using the normal PSC provisions
Beyond year 30	**As per the share** as calculated using the normal PSC provisions

2.2 Government share of Profit Petroleum, during the extended period of contract, may vary from year to year, based on Investment Multiple (IM) /Post Tax Rate of Return (PTRR).

(*For the sake of clarity, if the Government share of Profit Petroleum as calculated using the normal PSC provisions in any year during year 1 to year 10 of the extended period of contract is say 20%, the payable Government share of Profit Petroleum during that period shall be 30% (20%+10%)*).

2.3 **Royalty and Cess**: During the extended period of contract, the royalty and cess shall be payable at prevailing rates of nomination regime and not at concessional rates as stipulated in the PSC for both small and medium sized fields. Royalty and cess will be payable by all the Contractors in proportion to their participating Interest.

3. PREREQUISITES FOR EVALUATION

3.1 The proposal for extension shall be considered for the following areas, ***having valid mining lease/ petroleum lease***, on the date of application:

(a) Areas where test/ commercial production has commenced.

(b) Areas covered by a development plan, for any discoveries in the lease area, which has been submitted to Management Committee (MC) for approval, subject to approval of such FDP by MC.

(c) Areas where firm exploration programme has been submitted by the Contractor to DGH, backed by a Bank Guarantee and not covered under existing development area on the date of application.

3.2 The application for contract extension should fulfil the following conditions:

(a) Contractor should be able to demonstrate the availability of balance recoverable Reserves through a Third-Party Reserves Audit report, to be submitted along with the application for extension. The definition of "Reserves' for the purpose would be as per Petroleum Resource Management System (PRMS) guidelines.

(b) If the remaining 2P/P50 *(2P/P50 reserves implies proven + probable reserves having a 50% certainty of being produced)* recoverable reserves [Oil+ Oil Equivalent of Gas (O+OEG)] of any development area requested for extension, are more than 5 MMBBL, the Third Party Reserves Audit needs to be done by a consultant of international repute as per the empanelled list maintained by DGH and as amended by from time to time.

(c) Contractor would submit a Revised Field Development Plan (RFDP), for the proposed extension period, at the time of submission of extension application, for exploitation of the remaining reserves. This will include, but not be limited to, the following:

(i) In place-Oil Initially in Place (OIIP) and Gas Initially in Place (GIIP)

(ii) Balance 2P/P50 Recoverable Reserves

(iii) Future Production Profile based on Reservoir Simulation Studies

(iv) Proposed Work Programme and the estimated expenditure for the proposed extension period.

(d) Revised FDP would include a **Base Production Profile** *(do nothing case, with no change in the earlier approved input, if any)* and a **Revised Production Profile** *(over the Base case)*, including the corresponding Work Programme and Programme Quantity, which should include Improved Recovery / Enhanced Recovery components, wherever applicable.

(e) Such RFDP will be considered by the Management Committee (MC). Where thought fit, the MC will grant conditional approval for such development plan *(including the period beyond the current PSC)*, subject to the condition of extension of PSC being granted by the Government under this policy. Such conditional approval by MC will not confer any right on the Contractor for extension in PSC period.

(f) While submitting the application, the operator should submit proof of technical expertise.

(g) The Contractor, while submitting the application for extension, should submit cumulative achievement of drilled wells and production *(planned vs actual)* since inception.

(h) All the statutory dues and payments due to Government should have been cleared and the Contractor should not be a defaulter to the Government on any account. Government would also take into account pending arbitration while considering extension requests.

4. CRITERIA FOR EVALUATION OF REQUEST

4.1 The past performance of the Contractor should be satisfactory for the request of extension to be favourably considered.

4.2 The past performance would be judged on the basis of following criteria:

(a) Contractor should have drilled, at least 70% of the development wells of the field development plan, as approved by the MC as on date of application for last 10 years,

OR

Contractor must have achieved 70% of the committed production as on date of application, with reference to the earlier approved FDP or approved Work Programme for the last 10 years.

(b) Contractor should have complied with the provisions of creation of Site Restoration Fund (SRF) and Site Restoration Plan (SRP) as per the PSC. Wherever PSC does not provide for SRF and SRP, the Contractor should propose a SRF and a SRP, as a part of extended contract.

5. OPTION TO GOVERNMENT TO INVITE FRESH BIDS: In the event of failure to comply with any of the above conditions, mentioned in clauses 3 and 4 above, Government shall have the option to invite fresh bids for further development of the area and to award the field to the most competitive bid.

6. SEAT OF ARBITRATION: The Contractor shall be allowed to choose the seat of arbitration as per **Rule 51** of the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025.

7. DURATION OF EXTENSION:

7.1 The extension for these PSCs would be considered both for oil and gas fields, till the end of the economic life of the field, in one or more instalments of not more than thirty years each.

7.2 The expression "*end of economic life of the field*" shall mean the point in time beyond which continued production is objectively demonstrated to be commercially unviable.

8. SUBMISSION OF BANK GUARANTEE:

8.1 Contractor shall provide, Bank Guarantee (BG) equal to 10% of the total estimated annual expenditure, in respect of the Work Programme approved by the MC for being undertaken by the Contractor in the contract area.

8.2 In case the contractor fails to complete the approved work program, grace period of up to one year can be granted by the MC, to complete the activity, subject to the contractor extending the validity of the Bank Guarantee for the duration of grace period and not hampering the next year's work program.

8.3 In addition, the Contractor will have to submit another fresh Bank Guarantee for the forthcoming year against the annual work programme and budget of that year.

9. OTHER CONDITIONS

9.1 Any extension of a Production Sharing Contract (PSC) granted pursuant to the erstwhile policy framework dated 28 March 2016 shall subsist and remain valid until its respective scheduled expiration date, subject to the same terms and conditions prescribed under the extension.

9.2 Any application for the first time extension beyond original PSC period **or** for further extension beyond the currently approved extension period, will be governed, exclusively, by the provisions of this policy document.

9.3 At the time of granting extension, the Government shall have the right to stipulate any further conditions, specific to any particular PSC.

9.4 Government shall reserve the right, not to extend a PSC, without assigning any reason thereof.

9.5 The condition stipulated in this policy will override the existing provisions of the PSC.

9.6 In case any contractor is not agreeable to this policy, then the field will be considered for rebidding, on as-is where-is basis.

9.7 Government would also have the right to assign the field to National Oil Companies (NOCs) i.e. ONGC or OIL.

10. LIST OF FIELDS: The list of 22 fields is placed at Annexure-A.

VINOD SESHAN, Jt. Secy.

ANNEXURE-A

(22 small and medium size fields)

SL	**AWARDED AS MEDIUM SIZED FIELDS**
1	Kharsang
2	Ravva
SL	**AWARDED AS SMALL SIZED FIELDS**
1	Dholka
2	Wavel
3	Asjol
4	Cambay
5	Bhandut
6	Hazira
7	PY-1
8	Baola
9	Modhera
10	Bakrol
11	Lohar
12	Karjisan
13	Allora
14	Amguri
15	Dholasan
16	Kanwara
17	North Balol
18	North Kathana
19	Unawa
20	PY-3

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.